भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3664
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 11 अगस्त, 2025
20 श्रावण, 1947 (शक)

हरिहरेश्वर मंदिर को विरासत स्थल के रूप में नामित करना

3664. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के दावणगेरे जिले के हरिहर तालुका में स्थित हरिहरेश्वर मंदिर को सरकार द्वारा विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त मंदिर को आध्यात्मिक या विरासत पर्यटन विकास के लिए तीर्थयात्रा पुनरूद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना या स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पर्यटन योजनाओं के अंतर्गत विरासत पदनाम और समावेशन हेतु स्थलों की पहचान और प्राथमिकता देने के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से अपनाए गए मानदंडों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): हरिहर तालुक, जिला दावणगेरे कर्नाटक में हरिहरेश्वर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण और अनुरक्षण के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय की तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के तहत "कर्नाटक के दावणगेरे जिले के हरिहर तालुक में हरिहरेश्वर मंदिर" के आसपास कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत् प्रक्रिया है। प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों को पूरा करने और धन की उपलब्धता के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): प्रसाद योजना के अंतर्गत तीर्थस्थलों/धरोहर स्थलों का चयन किया जाना, विभिन्न मानदंडों पर आधारित होता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यटकों की संख्या, स्थलों का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धरोहर की दृष्टि से महत्व, राष्ट्रव्यापी विकास सुनिश्चित करने के लिए समान प्रतिनिधित्व और अन्य कारक शामिल हैं। यह प्रक्रिया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से चलाई जाती है।

*****